

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी:- अमिता बिश्नोई
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:- 115/2005

- करनैलसिंह(फौत)
 - 1/1. सरदूल सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
 - 1/2. कमलजीत कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- जगराज सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- बलजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—वादीगण

—:बनाम:-

- गुरदेव सिंह पुत्र सरवण सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- बलजीत कौर पत्नी स्व. हरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- गुरतेज सिंह पिसरान हरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- गुरसेवक सिंह हनुमानगढ़।
- सुखमन्द्र कौर
- गुरप्रीतकौर
- कलवंत सिंह पिसरान जरनैल सिंह
- गुरजन्त सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- जरनैल सिंह (नाम कलमजन)
- अमर सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख साकिन पती खुर्द ढिलवां कलां तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब।
- दरबारा सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख साकिन पती खुर्द ढिलवां कलां तहसील जैता जिला फरीदकोट पंजाब।
- गुलजार सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
- जरनैल सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- मेजर सिंह पुत्र पुत्र गुलजार सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- हाकम सिंह पुत्र मेहर सिंह (नाम कलमजन)
- हरविन्द्र सिंह पुत्र गुरजन्त सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- प्रविन्द्र सिंह पुत्र पुत्र गुरजन्त सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:-

दिनांक:- 28/02/24


यह राजस्व मुकदमा आज मुझ अमिता बिश्नोई आर.ए.एस के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजिरी अधिवक्ता वादी श्री मदनलाल पारीक मिन जामिन मुदई व अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक रीडर/2024/906 दिनांक 08.02.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अंतिम डिक्री व मुकदमें ईबादाई
(आदेश 20 नियम 6-7)

उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देने पर वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाता है:-

क्र.सं.	विवरण काश्तकार	भूमि का विवरण
1.	जगराज-बलजीत सिंह पिसरान करनैल सिंह 380 हिस्सा ब.हि.ब. कमलजीत कौर पुत्री करनैल सिंह 50 हिस्सा सरदुल सिंह पुत्र करनैल सिंह 50 हिस्सा जाति जटसिख सा. सिंहपुरा खातेदार	चक 5 बीएलडब्ल्यू प.नं. 33/240 मु.नं. 12 किला नं. 1 ता 5 की 1.265 हैक्ट. प.नं. 34/240 मु.नं. 13 किला नं. 2/.127, 3 ता 15 की 3.289 हैक्ट., 16/.114 नहरी व .0125 रास्ता, 17 ता 20 की 1.012 हैक्ट., 25/.253 हैक्ट. कुल 4.8075 हैक्ट. इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल 6.0725 हैक्ट.
2.	गुरजंट सिंह-कलवंत सिंह पिसरान जरनैल सिंह 1.265 हैक्ट. हरविन्द्र सिंह-परमिन्द्र सिंह पिसरान गुरजंट सिंह 3.6425 हैक्ट. जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा खातेदार।	चक 5 बीएलडब्ल्यू प.नं. 33/240 मु.नं. 12 किला नं. 6 ता 15 की 2.530 हैक्ट., 19, 20, 21, की .759 हैक्ट., 22/1/.101 की कुल 3.390 हैक्ट. प.नं. 34/240 मु.नं. 13 1/.253, 2/.126, 16/.114, .0125 रास्ता, 21 ता 24 की 1.012 हैक्ट. कुल 1.5175 हैक्ट. कुल योग 4.9075 हैक्ट.
3.	गुरमेज सिंह -गुरसेवक सिंह पिसरान हरदेव सिंह 1/2 हिस्सा गुरदेव सिंह पुत्र सरवन सिंह 1/2 हिस्सा जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा खातेदार	चक 5 बीएलडब्ल्यू प.नं. 34/242 मु.नं. 1/3/.088, 1/4/.038 हैक्ट. कुल .126 हैक्ट.
4.	मेजर सिंह-जरनैल सिंह पिसरान गुलजारा सिंह 2/3 हिस्सा गुलजारा सिंह पुत्र सोहन सिंह 1/3 हिस्सा जाति जटसिख सा. सिंहपुरा खातेदार	चक 6 बीएलडब्ल्यू प.नं. 34/241 मु.नं. 11 ता 14 की 1.012 हैक्ट., 15/.057 नहरी, .006 रास्ता, 16 ता 25 की 2.530 हैक्ट. कुल 3.605 हैक्ट. नहरी मय गैर मु. रास्ता
5.	कलवंत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा खातेदार	चक 6 बीएलडब्ल्यू प.नं. 34/241 मु.नं. 71 किला नं. 1 ता 10 की 2.530 हैक्ट., 15/.171 नहरी, .019 रास्ता कुल 2.720 हैक्ट. नहरी मय गैर मु. रास्ता



नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जावे।

निज.....निल.....मुबलिक.....निल.....बाबत.....निल..... खर्चा मुकदमें के मय शुद्ध शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत में से आज दिनांक 28/10/24 को जारी किया गया।

(अमिता बिश्नोई BAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा